

प्रधान मंत्री कार्यालय

सूचना का अधिकार

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 16/8/2016

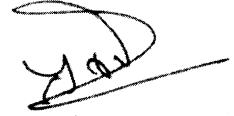
संख्या आरटीआई/7809/2016-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री शुभम गुप्ता से प्राप्त दिनांक 3.8.2016 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.8.2016 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।



(प्रवीन कुमार)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

e-mail: rti-pmo.applications@gov.in

☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

✓ साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्री शुभम गुप्ता
पुत्र श्री शशिकांत गुप्ता
346, राम नगर, गली नं. 4
कंकरखड़ा, मेरठ
उत्तर प्रदेश-250001

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

P/can transfer to UNP Division
Sh. Anurag, ASD
19/8

15/8/16

US(271)

विदेश मंत्रालय
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

सं: यू.II/551/25/2016

दिनांक: 31 अगस्त 2016

सेवा में,
श्री शुभम गुप्ता s/o श्री शशिकांत गुप्ता
346, राम नगर, गली नंबर 4
कंकरखेड़ा, मेरठ कैंट
उत्तर प्रदेश - 250001

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित व प्रधानमंत्री कार्यालय को संदर्भित आर टी आई प्रार्थना पत्र संख्या "शून्य" दिनांकित 3 अगस्त 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 18 अगस्त 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 1 और 2 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

“ 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद से, जिससे वर्तमान राष्ट्रमण्डल की स्थापना हुई थी, भारत ने 53 स्वतंत्र एवं संप्रभु देशों के इस संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 1948 में भारत का स्वयं का निर्णय था कि एक नवीन गणतन्त्र के रूप में राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित हुआ जाए, इस निर्णय ने अनेक एशिया और अफ्रीका के देशों को राष्ट्रमण्डल में शामिल होने को प्रेरित किया।“

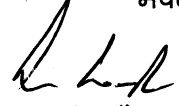
3. क्रमांक 3 और 5 पर मांगी गई जानकारी से संबंधित सूचना इंटरनेट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है: <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Commonwealth.pdf>

4. क्रमांक 4 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

“राष्ट्रमण्डल विभिन्न देशों के समूह जिनमें G-8 देश, प्रमुख विकासशील देश और कई विकासशील छोटे द्वीप राज्य भी शामिल हैं, को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार व्यक्त करने एवं परस्पर सहमति बनाने को एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई राष्ट्रमण्डल देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी निवास करते हैं, जिनके हितों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता के लिए उन राष्ट्रमण्डल देशों से मित्रवत संबंध आवश्यक है।“

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबंधित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष सं: 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- 110011, फोन: 011-49018413 व फैक्स: 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय



(अलियावती लॉंगकुमर)

अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग

कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन,

विदेश मंत्रालय, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011

फोन: 011-49018416

प्रतिलिपि:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र संख्या आरटीआई/7809/2016-पीएमआर दिनांक 16 अगस्त 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. विदेश सचिव कार्यालय, विदेश मंत्रालय को उल्लिखित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

7809-11/8/16

RTI No-02

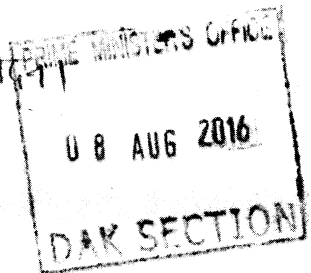
फा संख्या-02

जन श्रुचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली।

7809/16

विषय: श्रुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय, कृपया निम्न श्रुचनाएँ देने की कृपा करें।



MHA

- ① भारत राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा कब बना था।
- ② भारत अपनी स्वरूपानुसार राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बना था तथा किस तारीख को भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया था।
- ③ भारत को किन कारणों, नियमों तथा आधारा के तहत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया।
- ④ राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा होने पर भारत को होने वाले लाभ का व्यौरा दे।
- ⑤ किन देशों को राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बनाया जा सकता है।

यदि मांगी गयी श्रुचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो श्रुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (3) का अंशन लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक श्रुचनाधिकारी को 8 दिनों की समयवधि के अन्दर हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रुचना अवलंब्य कराते समय 9 प्रथम अपिलिय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं।

प्राप्ति द्वारा सभी प्रतिलिपियों का वाजिब मूल्य के आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा।

प्राप्ति:

DATE	TIME
49920	08/08/16
13/08/16	

Date-03/08/2016

File No. 34F 697732 सं 10/-

4458333

नाम:- शुभम गुप्ता पुत्र श्री शशिकंत गुप्ता

पता:- 346 रामनगर, गली नं-4,
दंकरखेड़ा रोड कैप्ट, झुंषी

मोबाइल:- 9456040100

ई-मेल:- SHUBHAMKOSAL@gmail.com